पत्र सं0–5/पी0(नई यो0)–03/2021–47(5)ब० स्वा0

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक: 24/11/2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत गिरिडीह के तुलाडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना के लिए कुल 49,74,955/– (उनचास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचपन) रुपए मात्र आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं0–221(5)ब, दिनांक–16.03.2022 एवं आवंटनादेश संख्या–96(5)ब दिनांक–27.07.2023 के क्रम में कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2323(नि०) दिनांक–11.09.2025 द्वारा किये गए अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत तुलाडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना के लिए अधोलिखित तालिका के अनुसार कुल 49,74,955/– (उनचास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचपन) रुपए मात्र आवंटित की जाती हैः–

स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	स्वीकृत्यादेश सं0 एवं तिथि एवं राशि	एकरारित राशि	एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदो में वृद्धि/कमी के कारण, निगम का Operational Grant जोड़ने पर योजना की कुल लागत	अबतक आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलाडीह, गिरिडीह	221(5)ब योजना दिनांक–16.03.2022 3,99,79,400/–	30210553	3,51,85,955	30210500	49,74,955	3,57,85,455

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए राशि का व्यय किया जाएगा।

3. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक–2323(नि०) दिनांक–11.09.2025 के द्वारा प्रतिवेदित है कि एकरारनामा के मदो के परिणाम में बदलाव के कारण एकरारनामा की राशि से कुल वृद्धि 27,57,489.55/–रूपये हुई है।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

R

4. एकरारनामा की राशि, एकरारित कार्य मदो के परिणामों में वृद्धि/कमी के कारण लागत राशि में वृद्धि, निगम का Operational Grant इत्यादि जोड़ने पर योजना की कुल लागत राशि 3,51,85,955.02/– रूपये होती है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 11.98% कम है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का हस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के पी0एल0 खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा– 120–अन्य निधियॉ में करेंगे।

6. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– 110– अस्पताल तथा औषधालय–48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01–जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45– निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110– 48–01–05–45) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

8. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि0(2), दि0–17.04.98 एवं 1800(वि0), दि0–15.07.2003 के आलोक में होगा। राशि की निकासी राँची कोषागार से होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को ऑन–लाईन अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

11. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

47(5)स्वा0
24/11/25

R

ज्ञाप संख्या– 47(5)स्वा० रॉंची, दिनांकः 24/11/25

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉंची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची।
3. उपायुक्त, रॉंची/गिरिडीह।
4. सिविल सर्जन, रॉंची/गिरिडीह।
5. कोषागार पदाधिकारी, रॉंची कोषागार, रॉंची।
6. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव।	संयुक्त सचिव।	अपर मुख्य सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5/P-NS-03/2021/47(5)B

दिनांक - 27-Nov-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111048010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण 01-जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित 05 - निर्माण **State Scheme**	74453	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	4,974,955.00 रुपये उनचास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचपन

State Scheme : STATE HEALTH INFRASTRUCTURE STRENGTHENING & UPGRADATION UPTO DISTRICT LEVEL(1691)

Centeral Scheme : NA

योग: 4,974,955.00

रुपये उनचास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचपन

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

49.37.26.52

Run Date: 27/11/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 48 - जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111048010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹49,74,955.00 (74453)	₹49,74,955.00

कुल आवंटित राशि :- ₹49,74,955.00 (उनचास लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचपन **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY